

NOTICE INVITING TENDER



Hiring of Vehicle for "CIPET:CSTS- Ranchi"

Date of Tender	:	08.09.2020
Last Date & Time for submission of Tender	:	21.09.2020 & 3.00PM
Date & Time of Opening of Tender	:	21.09.2020 & 4.00PM
Tender fee	:	Rs.500.00+ 18%GST=Rs.590.00/-
Without tender fee tender may be rejected (Non refundable tender fee to be deposited).		

CIPET : Centre for Skilling and Technical Support (CSTS), Hehal, Ranchi - 834005, Jharkhand.
Mobile No.: +91-9534029050, Phone No.: +91-651-2511118
Email: cipetranchi@gmail.com.
www.cipet.gov.in

निविदा

इच्छुक वाहन स्वामीयों आदि से भाड़े पर वाहन लिये जाने हेतु केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित फर्मों से ए०सी० एवं नॉन ए०सी० वाहनों के मासिक किराये की दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा CIPET, Ranchi, झारखंड, राँची के नाम से निम्न नियम एवं शर्त के अनुसार दिनांक 21.09.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक सील बंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक प्राप्त कोटेशन दिनांक 21.09.2020 को अपराह्न 04 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोला जायेगा।

तकनीकी निविदा

- a. वाहन का प्रकार निम्नवत होगा :- टाटा जेस्ट(ए०सी०), स्विफ्ट डिजायर(ए०सी०), इत्यादि
- b. कोटेशन दाता के नाम पर वाहन का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- c. निविदा दो लिफाफे में अलग-अलग देना होगा। एक लिफाफे में तकनीकी निविदा (सारे कागजातों के साथ- वाहन बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि) तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा देना अनिवार्य होगा। पहले लिफाफे पर भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफे पर भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित वित्तीय निविदा लिखना होगा।
- d. तकनीकी निविदा के साथ सिपेट, राँची के नाम से ₹ 20000 /- (बीस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट अनिवार्य होगा। तत्संबंधी निबंधन वाहन का निबंधन वर्ष 2019 (BSIV and above/ as per Govt Guideline) से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तत्संबंधी वाहन निबंधन का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- e. तकनीकी निविदा के साथ बीमा भुगतान की रसीद एवं पथ कर भुगतान की रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- f. तकनीकी निविदा के साथ सेवा कर निबंधन संख्या की स्वअभिप्रमाणित करना होगा।
- g. निविदादाता का फर्म ,/एजेन्सी निबंधित होना चाहिए। तत्संबंधी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- h. तकनीकी निविदा के साथ आयकर पैन संख्या की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- i. तकनीकी निविदा के साथ निविदाता को भाड़े पर वाहन देने संबंधी न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- j. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर सालाना 10 (दस) लाख होना चाहिए। तत्संबंधी स्वअभिप्रमाणित की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- k. निविदादाता को सारी सामान्य शर्तें स्वीकार होने का शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- l. सफल निविदाकर्ता Rs.20000 की प्रदर्शन सुरक्षा (performance security) राशि जमा करेगा। कोई msme / nsic रियायत नहीं।

वित्तीय निविदा (On Monthly Basis)

वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन वार मासिक किराया (सभी कर सहित तथा चालक के पारिश्रमिक, ईंधन ऑयल इत्यादि तथा इंधन सहित) अंकित करना आवश्यक है।

Sn.	मॉडल न०	संख्या	किराया दर	बेस किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर	अतिरिक्त घंटे का दर (प्रति घंटा)
1.	टाटा जेस्ट / स्विफ्ट डिजायर और समकक्ष (डीजल) (ए०सी०)	01			
2.	Night Hault Charges				

अतिरिक्त वाहन (Daily Rental)

अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता पर, यह निम्नलिखित दर लागू होगा।

क्र. संख्या	वाहन	दैनिक निर्धारित शुल्क	संचालन दर (प्रति किलोमीटर)	अतिरिक्त घंटे का दर
1.	टाटा जेस्ट			
2.	स्विफ्ट डिजायर			
3.	हुंडई क्रेटा			
4.	टोयोटा इन्नोवा			
5.	अन्य वाहन			

उपरोक्त विवरण केवल वित्तीय निविदा के सीलबंद लिफाफे में ही दिया जायेगा ।

निविदादाता को वित्तीय बिड में राशि अंक में तथा शब्दों में अंकित करना होगा। यदि अंकित अंक तथा शब्द के बीच किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है, तो शब्द में अंकित राशि मान्य होगी।

निविदा की समानयन शर्तें (नियम एवं शर्त) :-

1. झारखंड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा केवल व्यावसायिक रूप से निर्बंधित वाहन ही किराये पर लिये जा सकेंगे।
2. वाहन के मासिक विपत्र में नियमानुसार सेवा कर के रूप में देय राशि का उल्लेख करना होगा।
3. वाहन सही हालत में हो एवं पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त न हो।
4. ईंधन की आपूर्ति निविदादाता को करना होगा।
5. चालक का अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए/अनिवार्य है एवं विभागीय लॉग बुक भरने का ज्ञान होना चाहिए।
6. वाहन का उपयोग 24 घंटे में किसी समय किया जा सकता है, इसलिए वाहन को चालक सहित ससमय उपलब्ध रखना होगा एवं उपयोग के आधार पर राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को अविलंब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था तीन घंटों के अंदर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा, तो विभाग को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य एजेंसी से तत्काल भाड़े पर वाहन लें तथा उसका पूरा व्यय आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
8. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले क्षति का दायित्व राज्य सरकार, / विभाग का नहीं होगा।
9. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्ता को लिखित अंडरटेकिंग समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा किया जायेगा।
10. सफल निविदादाता को एकरारनामा संपादित होने के एक सप्ताह के अंदर वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि निविदादाता वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे, तो उनका अनुबंध, /एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी अग्रधन राशि जमा कर ली जायेगी।
11. वैसे निविदादाता जिनकी निविदा अस्वीकृत हो जाती है, को उनके द्वारा जमा अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
12. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से सही होना चाहिए तथा सही एवं सुरक्षित दशा में होना चाहिए।
13. आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन के प्रविष्टियों का लॉगबुक संधारण करना होगा (यथा आरंभ कि०मी०, रीडिंग, अंत कि०मी० रीडिंग, कुल तय की गई दूरी, आरम्भ समय तथा अंत समय प्रतिदिन)। वाहन के प्रत्येक परिचालन पर चालक एवं वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए।

14. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मत एवं रख-रखाव आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा तथा वाहन से संबंधित सारे कागजात चालक के जिम्मे होना चाहिए ।
15. यदि कोई चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, तो आपूर्तिकर्ता को अंवलंब दूसरे चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी अगर विलंब होता है, तो प्रति घंटा 100 रुपये की दर से भुगतान करनी होगी।
16. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए। विभाग द्वारा आवश्यकता का ज्ञान होना का पुलिस भेरिफिकेशन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
17. आपूर्तिकर्ता को चालक को कुछ नगद राशि सुलभ कराना होगा, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अंवलंब मरम्मत करा ली जाय।
18. वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए ।
19. वाहन का उपयोग सामान्यतया छापामारी, निरीक्षण आदि कार्यों के लिए किया जायेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वाहन का उपयोग किसी भी समय (अवकाश के तिथियों सहित) किया जा सकता है।
20. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक अथवा वाहन को नहीं बदला जायेगा।
21. वाहन के आगे तथा पीछे भाग में सिपेट, राँची भारत सरकार का बोर्ड आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर लगाना होगा ।
22. प्रत्येक सप्ताह आपूर्तिकर्ता को वाहन में लगे तौलिया का धुलाई कराना होगा।
23. वहन में साफ तौलिया, रेडिया, कार परफ्यूम, मोबाइल चार्जर उपलब्ध रहना चाहिए तथा मानसून समय में वाहन में छाता की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए।
24. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को चालक को बदलना होगा।
25. बिना कारण बताये निविदा को विभाग द्वारा रद्द किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।
26. विभाग द्वारा निर्धारित मासिक किराया के अलावे निविदादाता को अलग से किसी भी तरह की राशि देय नहीं होगी।
27. क्रय समिति द्वारा स्वीकृत यह निविदा न्यूनतम एक वर्ष अथवा अगले निविदा के अनुमोदित होने तक मान्य रहेगा। वाहन की दरे स्वीकृत होने के उपरांत एक वर्ष तक मान्य होगा एवं सेवा संतोषजनक पाये जाने पर पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है।
28. वाहन यदि कार्य अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसकी मरम्मत की सारी जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
29. वाहन स्वामी को चालक का परिश्रमिक राशि का भुगतान एवं वाहन का रख-रखाव स्वयं करना होगा ।
30. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में विभाग, कार्यालय प्रधान को विपत्र में से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
31. आपूर्तिकर्ता को वाहनवार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पिछले माह का विपत्र (लॉग बूक के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
32. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में विभाग/ कार्यालय प्रधान को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरूद्ध रखे।
33. वाहनवार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
34. वाहन का प्रतिमाह परिचालन 2000 किलोमीटर होगा। निर्धारित अधिसीमा से अधिक परिचालन की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को प्रति किलोमीटर का अलग दर वित्तीय बिड में समर्पित करना होगा।
35. प्रत्येक माह का वाहन परिचालन का बेस किलोमीटर 2000 किलोमीटर होगा। गणना त्रैमासिक होगी तथा यदि किसी माह में वाहन का परिचालन निर्धारित अधिसीमा से अधिक हुआ है एवं अगले दो माहों में वाहन का परिचालन कम हुआ है, तो अधिक परिचालन का समायोजन उसी क्वार्टर के अगले माहों में या अगले त्रैमासिकों में कर लिया जायेगा। प्रथम त्रैमासिक का तात्पर्य एकरारनामा संपादित उपरांत पहला तीन माह ।

उदाहरण निम्नवत होगा :-

	बेस किलोमीटर प्रतिमाह	कुल किलोमीटर प्रतिमाह	अतिरिक्त / बचत किलोमीटर	देय राशि
1	2000 किलोमीटर	2300 किलोमीटर	300 अतिरिक्त	2000 किलोमीटर की दर
2	2000 किलोमीटर	1700 किलोमीटर	300 बचत	2000 किलोमीटर की दर
3	2000 किलोमीटर	1900 किलोमीटर	100 बचत	2000 किलोमीटर की दर
उक्त क्वार्टर के प्रथम माह में वाहन का परिचालन 300 किलोमी अधिक हुआ है तथा शेष दो माहों में वाहन का परिचालन 400 किलोमीटर कम हुआ है। अतः कुल बचत 100 किलोमीटर का समायोजन अगले त्रैमासिकों में वाहन से अधिक परिचालन की स्थिति में किया जायेगा।				

36. वाहन के उपयोग में यदि किसी तरह की असुविधा के स्थिति में तत्काल वाहन वापस करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी/ विभाग/ कार्यालय प्रधान की होगी।
37. वाहन का पंजीकरण झारखण्ड सरकार में मान्य होना चाहिए।
38. प्राप्त कोटेशन की स्वीकृत, अस्वीकृत, / रद्द करने/ सेवा शर्त में संशोधन करने का अधिकार का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी/ कार्यालय प्रधान को सुरक्षित रहेगा।
39. दंड

क्रम	दंड की वजह	राशि
1.	ड्यूटी के लिए बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं	Rs. 1000.00
2.	प्रति अवसर देर से रिपोर्टिंग के लिए	Rs. 100. 00 प्रति घंटा। या उसके भाग
3.	अयोग्य या गैर सड़क योग्यता वाहन तैनात	Rs. 1000.00 प्रति घटना
4.	डाइवर का दुर्व्यवहार / सीपेट रांची के निर्देश का पालन नहीं	Rs. 2000.00 प्रति घटना
5.	अनुबंध के संचालन के दौरान कोई चूक सूचना / दंड के खंड में सूचीबद्ध के अलावा अन्य	Rs. 2000.00 प्रति घटना

शपथ पत्र

मैं _____, श्री / _____ की बेटा/ बेटी
 आयु _____ वर्ष, _____ निवासी _____
 , एतद्वारा घोषणा करता है कि उपरोक्त जानकारी और संलग्न दस्तावेज सत्य है एवं मेरे ज्ञान और विश्वास से सर्वश्रेष्ठ है अथवा उसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी समय गलत साबित होती है, तो मुझे कानून के किसी भी प्रावधान के अनुसार सजा और साथ ही साथ मेरे द्वारा अर्जित लाभ को रद्द कर दिया जाएगा।

तारीख:-

जगह:

आवेदक का हस्ताक्षर

Annexure "A"

HIRING OF VEHICLES ON MONTHLY BASIS FOR CIPET, RANCHI

01.	NAME OF TENDERING AGENCY/FIRM:
02.	STATUS OF THE FIRM (PROPRITORSHIP/PARTNERSHIP ETC) :-
03.	NAME OF OWNER/PARTNERS/DIRECTORS:-
04.	FULL PARTICULARS OF OFFICE:- A. ADDRESS:- B. TELEPHONE/MOBILE NO:- C. FAX NO:- D. E-MAIL ADDRESS:-
05.	DETAILS OF BANK ACCOUNT:- A) BANK NAME:- B) BRANCH NAME:- BANK A/C NO.:- C) IFS CODE:-
06.	DOCUMENT:- a. Proof of GST Registration of the firm. b. Permanent Account Number (PAN). c. Proof of at least 01 year experience. d. Notary/ Self affidavit of available vehicles with registration No. with tenderer firm/agency. Also attach the photo copy of registration No. as said in affidavit. e. At the time of supply, vehicle must be registered under Commercial Registration. (Notary/ Self affidavit) f. EMD of Rs.20000.00

07. Details of satisfactory performance/ Experience Certificate from PSU/Govt. Companies/ Other Private Reputed Corporate Organization where the tenderer has worked during last one years:-

Sl. No.	Name of PSU/Govt. Company/	Period Of Work Done

Date:
Place:

Signature of authorized person:
Full Name:

Company Seal:

Annexure "B"

(Letter for submission with tender on tenderer's own letterhead)

UNDERTAKING

Letter No.:

Date:

To,
The Director & Head,
CIPET: CSTS
Hehal,
Ranchi-834005

Sub: **"Hiring of vehicles on monthly basis" for 01 year for CIPET, Ranchi.**

Dear Sir,

1. I/We undersigned certify that I/We have carefully gone through and clearly understood the terms and conditions of the tender documents, the work requirement and undertake to comply with them.
2. I/We further undertake to execute and complete the work as per tender's terms and conditions and the bids submitted by us. We have signed every page of the tender documents as taken of our acceptance of all terms and conditions of the tender.
3. My/Our offer shall be valid for a period of 90 days.

Thanking You,

Yours faithfully,

For M/s:.....
Signature:.....
Date:.....

Name :-

Address:

Seal of Tenderer:

Annexure "C"

Agreement on Rs. 100 Stamp Paper

Hired Vehicle Contract Agreement between CIPET:CSTS Ranchi AND

M/s.....
.....

A. Preamble:

This agreement is made on (..... day of, 2020) between the office of the of the one part and M/s having address....., of the other another part (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context by deemed to include his in office or assigned of the other part).

B. Whereas:

Office of the Director & Head, CIPET: CSTS Ranchi has issued letter dated..... awarding the contract to M/s for providing one vehicle (vehicle name) on monthly basis as per term and conditions stipulated in tender documents dated..... and elaborated there under.

C. Contract:

M/s agrees to provide hired vehicles on the charges valid as mentioned as below:

1. Charges: One (vehicle name) @ Rs./- (excluding Service Tax) per month.

2. Validity of the Contract agreement: The validity of the contract agreement will be from to D. Terms and Condition for hiring of the vehicle:

1. Subletting of Contract: The successful bidder shall not be allowed to sublet / subcontract the contract to any other contractor.

3. The driver of the vehicle shall be provided with the duty slips by the Contractor where date, time Kms reading and places visited are to be filled in and signed by the users/ CIPET: CSTS Ranchi officials. On the basis of these duty slips, the bills shall be raised to CIPET: CSTS Ranchi by the contractor.

4. In the event of any mechanical failure/ break down of vehicle after its reporting duty, the contractor shall arrange for replacement by another Commercial Vehicle. Not compliance may attract penalty as per Clause of Tender Document.

5. In case of any accident resulting in loss or damage to property of life, the sole responsibility for any legal or financial implication would vest with the contractor. CIPET: CSTS Ranchi shall have no liability whatsoever.

6. That contractor is liable for any legal dispute/cases/claims that have arisen or may arise during the currency of the agreement in respect of vehicles provided by contractor. CIPET: CSTS Ranchi will not be liable for any loss, damages, etc. suffered/ to be suffered by contractor or third party as the case may be.

7. The Contractor shall also be liable for all fines, penalties, and the like of parking, traffic and other criminal offences arising out of or concerning the use of the vehicle during the hire period and any toll Charges or entry Taxes payable locally and the Contractor accordingly indemnifies CIPET: CSTS Ranchi against all such liability.

8. The Contractor shall not act as a broker for other hire companies or any individual and the contract will be valid only if the company signing the contract supplies the vehicles themselves from their own fleet. The Contractor will also ensure that they will not supply the vehicles to CIPET: CSTS Ranchi which are either owned by employees of CIPET: CSTS Ranchi or their near relatives.

D. Contract period:

(i) The period of contract will be valid for one year from the date of execution of contract/agreement. The period of contract/ agreement may be further considered for extension on request of contractor on the same terms and conditions or may be renewed subject to mutual consent of the competent authority (Department) and the Service Provider.

(ii) CIPET: CSTS Ranchi reserves the right to extend or reduce the contract period.

(iii) CIPET: CSTS Ranchi can terminate the contract in case of poor performance after giving 15 days advance notice. The department will have the right to terminate the contract of successful bidder and allot the same to any other willing valid bidder in case of unsatisfactory performance of the successful bidder. The contract can also be terminated prematurely in case of introduction of change of system of the instant tender.

E. Applicable Law: The contract shall be interpreted in accordance with the Indian Laws.

F. Notice: Any notice by one party to other pursuant to the contract shall be sent in writing or by telegram or telex / cable / fax and confirmed in writing to the address specified for that purpose in the contract. A notice shall be effective when delivered or on the notices effective date, whichever is earlier.

G. The above clauses are in addition to the terms and condition mentioned in tender documents and shall form part of the agreement.

H. In the event of any question, dispute or difference arising under the agreement or in connection there with (except as to matter the decision to which is specifically provided under this agreement), the same shall be referred to sole arbitration of the Director, CIPET: CSTS Ranchi. In case his designation is changed or his office is abolished then in such case to the sole arbitration of the officer for the time being entrusted whether in addition to the function of Director, CIPET: CSTS Ranchi or by whatever designation such officers, may be called (hereinafter referred to as the said officer) and if the Director, CIPET: CSTS Ranchi or the said officer is unable or unwilling to act as such, than to the sole arbitration of some other person appointed by the Director, CIPET: CSTS Ranchi or the said officer. The agreement to appoint an arbitrator will be in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

I. If the Contractor institutes any legal proceedings against CIPET: CSTS Ranchi to enforce any of its rights under this agreement it shall be in the legal jurisdiction of Ranchi where the vehicle has been hired and not the place where the Contractor has his registered office.

Signature)
Witness
Signature:
2. Witness

(Signature)
1. Witness
Signature:
2. Witness

वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा (On Monthly Basis)

वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन वार मासिक किराया (सभी कर सहित तथा चालक के पारिश्रमिक, ईंधन ऑयल इत्यादि तथा इंधन सहित) अंकित करना आवश्यक है।

Sn.	मॉडल न०	संख्या	किराया दर	बेस किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर	अतिरिक्त घंटे का दर (प्रति घंटा)
1.	टाटा जेस्ट / स्विफ्ट डिजायर और समकक्ष (डीजल) (ए०सी०)	01			
2.	Night hault Charges				

अतिरिक्त वाहन (Daily Rental)

अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता पर, यह निम्नलिखित दर लागू होगा।

क्र. संख्या	वाहन	दैनिक निर्धारित शुल्क	संचालन दर (प्रति किलोमीटर)	अतिरिक्त घंटे का दर
1.	टाटा जेस्ट			
2.	स्विफ्ट डिजायर			
3.	हुंडई क्रेटा			
4.	टोयोटा इन्नोवा			
5.	अन्य वाहन			

तारीख:-

जगह:-

आवेदक का हस्ताक्षर